राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1985/2003

1. नाहर सिंह पुत्र श्री वेने सिंह, निवासी 109, आशापूर्णा, जालोर।
2. भवानी सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट उत्तरादावास, तहसील भादरा, जिला श्री गंगानगर।
3. गणपत सिंह पुत्र श्री अनोप सिंह, निवासी दक्षिण सूरसागर, शिव मंदिर के पास, बीकानेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रजिस्ट्रार, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से।

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री नरपत सिंह
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री जदीप सिंह सलूजा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/05/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी सहायक (कृषि) के पद पर उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित वेतनमान प्रदान न किए जाने से उत्पन्न हुई है।

2. संक्षेप में, दलील के अनुसार प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ताओं को शुरू में प्रतिवादी विश्वविद्यालय में लैब असिस्टेंट/ टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। 08.08.1989 का आदेश याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की प्रारंभिक नियुक्ति है और 06.11.1989 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता संख्या 3 को तीन महीने की अवधि के लिए या नियमित रूप से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 का कार्यकाल 15.11.1989 के आदेश

के तहत बढ़ाया गया था। हालाँकि, उसके बाद, याचिकाकर्ताओं का कार्यकाल बढ़ाने वाला कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन वे काम करते रहे।

2.2 वर्ष 1991 में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा समाप्ति की आशंका के चलते, रिट याचिका संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1551/1991 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थगन आदेश दिया। स्थगन आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता लगातार सेवा में बने रहे। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं को तकनीकी सहायक (कृषि) के पद के लिए 1640-2900 रुपये के वेतनमान में जॉब टेस्ट के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार रखा गया। सभी याचिकाकर्ताओं ने जॉब टेस्ट और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया। उपयुक्त पाए जाने पर, उन्हें 18/19.06.1996 के आदेश के अनुसार तकनीकी सहायक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया।

2.3 यद्यपि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित कर दिया है, लेकिन उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान और अन्य सहायक लाभों का लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए विश्वविद्यालय को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4433/2000 के तहत एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें विश्वविद्यालय को 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए।

2.4 दिनांक 19.02.2002 के आदेश की अनुपालना में याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, किन्तु दिनांक 20.06.2002 के पत्र द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया। यद्यपि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ श्री मोतीराम को सहायक लाभों सहित नियमित वेतनमान का लाभ दिया, किन्तु याचिकाकर्ताओं को नहीं। उन्होंने श्री धीरज डीडवानी तथा कुछ अन्य को भी उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से ही यह लाभ प्रदान किया, किन्तु याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखा गया। दिनांक 20.06.2002 के आदेश/पत्र से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका प्रस्तुत की।

3. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अपनाए गए पक्ष इस प्रकार हैं:-

3.1 याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 06/90 दिनांक 29.05.1990 के प्रत्युत्तर में अस्थायी आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और 06.12.1990 को आयोजित साक्षात्कार के पश्चात याचिकाकर्ता तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। पात्रता के अभाव में उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती थीं, लेकिन एकपक्षीय अंतरिम आदेश के कारण याचिकाकर्ताओं को नौकरी परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के पश्चात नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है। अब मैं तत्काल आदेश के आगामी पैराग्राफों में इसके लिए कारण बताते हुए अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ताओं का यह विशिष्ट मामला है कि उनके साथ उनके समकक्षों की तुलना में शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के समान ही वर्ष 1996 में सेवा में नियमित किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को उनमें से कुछ से वरिष्ठ होने के बावजूद उनके कनिष्ठों के समान वेतनमान निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया है, भले ही उन्होंने सेवाओं को नियमित करने के लिए उसी स्क्रीनिंग/चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा हो, जैसा कि उनके समकक्षों ने किया था।

6. इस संबंध में कथन रिट याचिका के पैरा 16 और 17 में निहित हैं, इसे नीचे दिए अनुसार शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

> "16. प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने कई कर्मचारियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनकी स्वयं की कोई गलती न होने के बावजूद यह लाभ नहीं दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी ने श्री मोतीराम को, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं, 02.11.1992 से अर्थात् याचिकाकर्ताओं को नियमित वेतनमान का लाभ दिए जाने से पहले, नियमित वेतनमान के साथ सहायक लाभ दिया है।
>
> 17. प्रतिवादी ने समान स्थिति वाले व्यक्तियों अर्थात् श्री धीरज डिडवानी, श्री एम.एस. चुंडावत, श्री वी.एस. माथुर, श्री ए.के. गुप्ता, श्री आर.एल. महला, श्री गिरधर गोपाल और श्री ए.पी. माथुर को भी उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से

नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान किया है, लेकिन याचिकाकर्ता को इससे वंचित रखा गया है।"

7. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, उत्तर के संगत अनुच्छेदों में निम्नलिखित रुख अपनाया गया है:-

"16. रिट याचिका के पैरा 16 में निहित कथनों को अस्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं और रिट याचिका में संदर्भित किसी अन्य व्यक्ति का मामला पूरी तरह से अलग है और अनुच्छेद 14 और 16 या अन्यथा के आधार पर तुलनीय नहीं है। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1989 में नियुक्त किए जाने के बाद वर्ष 1990 में नियमित चयन के लिए स्क्रीनिंग के अधीन किया गया था, लेकिन दिनांक 6.12.1990 के आदेश के अनुसार, साक्षात्कार का सामना करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को उक्त पद पर नियमित नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने उक्त पद पर बने रहने की पात्रता खो दी। हालाँकि, वर्ष 1996 में, जब याचिकाकर्ताओं को फिर से उसी स्क्रीनिंग के अधीन किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण की और इस तरह, उन्हें उक्त तिथि से नियमित चयन प्रदान किया गया। श्री मोती राम को एक पूर्व तिथि पर योग्य पाया गया और, इसलिए, याचिकाकर्ताओं से पहले नियमित चयन का लाभ दिया गया। यदि याचिकाकर्ताओं का चयन वर्ष 1990 में हुआ होता तो उन्हें भी नियमित वेतनमान दिया जाता।

17. रिट याचिका के पैरा 17 में निहित कथनों को अस्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 6/1990 दिनांक 19.5.1990 के जवाब में पद पर चयन के लिए आवेदन किया था और दिनांक 6.12.1990 के आदेश के अनुसार साक्षात्कार के बाद उपयुक्त नहीं पाए गए थे। परिणामस्वरूप, प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर जो स्वयं 1996 तक अस्थायी थी, जब याचिकाकर्ताओं ने फिर से स्क्रीनिंग के लिए आवेदन किया और अंततः सफल पाए गए, याचिकाकर्ता 1996 तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए

नियमित वेतनमान, सहायक लाभ या अन्यथा का दावा नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का मामला उत्तर के तहत पैरा में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले से पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए, श्री धीरज दीदवानी 1990 से पहले एसकेएन कॉलेज, जोबनेर में एक निश्चित योजना के तहत कार्यरत थे और उक्त योजना के पूरा होने के बाद उन्हें के.वी.के., कोटपुतली में तकनीकी सहायक के पद पर समायोजित कर दिया गया। इसी तरह, श्री रामेश्वर लाल मेहला याचिकाकर्ता से पहले पात्र थे। जहां तक श्री एम.एस. चुंडावत, वी.एस. माथुर, ए.के. गुप्ता, गिरधर गोपाल और ए.पी. माथुर का संबंध है, इन व्यक्तियों को तकनीकी सहायक के पद के लिए शुरू से ही नियमित वेतनमान दिया गया था क्योंकि उन्होंने चयन प्रक्रिया के अनुसार योग्यता हासिल की थी। याचिकाकर्ताओं का मामला, इस तरह, उत्तर के तहत पैरा में उल्लिखित पदाधिकारियों के मामलों से तुलनीय नहीं है। इस तरह, याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से या अन्यथा किसी भी तरह से वंचित करने की बात से दृढ़ता से इनकार किया जाता है।"

8. चूंकि याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को उच्च वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में कुछ अस्पष्टता थी, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए तथा बेहतर उदाहरण के लिए दिनांक 11.01.2024 की सुनवाई के दौरान निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर मांगा है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि याचिकाकर्ता के समकक्षों में से एक धीरज दीदवानी को दिनांक 26.03.1990 के आदेश (अनुलग्नक 15) के तहत तदर्थ आधार पर तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो याचिकाकर्ता की तुलना में बाद में नियुक्त किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 08.08.1989 को तदर्थ आधार पर की गई थी, इसलिए वह धीरज दीदवानी से वरिष्ठ है। और फिर भी, जब उक्त कनिष्ठ को याचिकाकर्ता

के साथ 18.06.1996 को नियमित नियुक्ति दी गई, तो उसे याचिकाकर्ता की तुलना में उच्च वेतनमान मिला।

जहां तक अन्य व्यक्तियों का सवाल है, जिनके साथ याचिकाकर्ता वेतन समानता चाहता है, उसका भरोसा पूरी तरह से गलत है। वे सभी व्यक्ति अपनी नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता से उच्च पद पर नियुक्त किए गए थे। इसलिए, केवल इसलिए कि वे कनिष्ठ थे, लेकिन उच्च पद पर थे, याचिकाकर्ता उस पद से उच्च पद पर वेतन समानता की मांग नहीं कर सकता, जिस पर वह काम कर रहा था।

18.01.2024 को सूचीबद्ध करें।"

9. याचिकाकर्ताओं द्वारा विस्तृत विवरण देते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है। यद्यपि यह न्यायालय चाहता था कि उदाहरण के तौर पर धीरज डिडवानी का विवरण दिया जाए, लेकिन ऐसा न होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने मोतीराम का उदाहरण दिया है कि किस तरह से उक्त जूनियर को अधिक अनुकूल व्यवहार मिला है। 16.01.2024 का उक्त अतिरिक्त हलफनामा और उसकी प्रति प्रतिवादी विश्वविद्यालय के वकील को दी गई। विश्वविद्यालय द्वारा इस पर कोई और प्रतिक्रिया दायर नहीं की गई है। इस आधार पर यह मान लेना सुरक्षित है कि इसकी विषय-वस्तु विवादित नहीं है।

10. याचिका के पैरा 16 और 17 के जवाब के संयुक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि एकमात्र बचाव यह है कि याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्ति को स्क्रीनिंग कमेटी ने 1996 से बहुत पहले ही योग्य पाया था। इसलिए उसे उच्च वेतनमान दिया गया। इस बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को कैसे उपयुक्त और योग्य नहीं पाया गया और वह भी उन्हें स्क्रीनिंग प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अवसर दिए बिना। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त कथनों पर विस्तृत जवाब दिया है जो प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"उत्तर के पैरा 16 में निहित कथनों को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें अस्वीकार किया जाता है और रिट याचिका में जो कहा गया है उसे दोहराया जाता है। श्री मोती राम का मामला याचिकाकर्ता के समान ही है, फिर भी उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ वर्ष

1996 में नौकरी की परीक्षा और साक्षात्कार पास किया था। 18.06.1996 के आदेश (अनुलग्नक-3) के मात्र अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को बल मिलता है। ऐसा होने पर प्रतिवादी का यह कथन कि श्री मोती राम वर्ष 1990 में स्क्रीनिंग के अधीन थे, झूठा है और इस झूठे बयान को देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।"

11. इस प्रकार यह अभिलेख पर स्थापित है कि याचिकाकर्ता के समकक्षों को उच्च वेतनमान दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को बिना किसी कारण के समान लाभ से वंचित किया गया। विशिष्ट आधार पर, किसी भी शत्रुतापूर्ण भेदभाव से बचने के लिए रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

12. तदनुसार यह आदेश दिया जाता है।

13. दिनांक 20.06.2002 का आक्षेपित आदेश/संचार अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके समकक्षों के समान सही वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करें, उसी तिथि से जब उन्हें यह लाभ प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता नियमों के तहत देय ब्याज सहित वेतन के बकाये के भी हकदार होंगे।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।